

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी

:- श्री राजीव कुमार खेदर, आर ए एरा

प्रार्थना पत्र संख्या

:- 71/2023

उनवान

1. कमली देवी पत्नि ओमकार जाति बलाई निवासी घासीपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर,
2. ओमकार पुत्र पोखरमल (मृतक दौराने विचारण)
 - 2/1 राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र ओमकार
 - 2/2 रमेश पुत्र ओमकार
 - 2/3 दिनेश पुत्र ओमकार
- समस्त जाति बलाई उम्र-व्यस्क, निवासी घासीपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
- 2/4 कौशल्या देवी पुत्री ओमकार पत्नि बनवारी लाल, उम्र व्यस्क, जाति बलाई निवासी रामपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
- 2/5 सुगन्ता देवी उर्फ शकुन्तला देवी पुत्री ओमकार पत्नि नवलकिशोर जाति बलाई निवासी देवन तिराया-शाहपुरा, जिला जयपुर।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील-शाहपुरा जिला जयपुर
2. कैलाश चन्द पुत्र भरताराम जाति अहीर, निवासी घासीपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर
3. रामकरण पुत्र गिरधारी
4. कैलाश पुत्र गिरधारी
5. अशोक पुत्र गिरधारी
6. संतोष पुत्र गिरधारी
7. कालूराम पुत्र गोपाल
8. भीवाराम पुत्र गोपाल
9. मदन पुत्र गोपाल
10. चौथमल पुत्र भगवान सहाय
11. सीताराम पुत्र छोटू
12. कानाराम पुत्र छोटू
13. हरिराम पुत्र छोटू
14. भंवर पुत्र नारायण
15. हनुमान पुत्र नारायण
16. मालीराम पुत्र नारायण
17. रामेश्वर पुत्र नारायण
18. हरदेव पुत्र नारायण
19. धन्नाराम पुत्र नारायण
20. प्रहलाद पुत्र प्रभात
21. बद्री पुत्र साधुराम
22. बनवारी पुत्र भगवान सहाय
23. वीरबल पुत्र भरताराम
24. मुकेश पुत्र प्रभात
25. मुरली देवी पत्नि भरताराम
26. मांगी पत्नि साधुराम
27. रमेश चन्द पुत्र सेडूराम
28. राधेश्याम पुत्र भगवान सहाय
29. रामकुंवार पुत्र प्रभात
30. रामकरण पुत्र साधुराम
31. शंकर पुत्र साधुराम



उप-खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

32. शम्भूदयाल पुत्र प्रभात
33. सीताराम पुत्र भरताराम
समस्त जाति अहीर उम्र-व्यस्क, निवासी घासीपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
34. गुलाब चन्द पुत्र बिरदूराम जाति बलाई निवासी रामतलाई घासीपुरा
तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
35. मुन्नी देवी पत्नि रमेश चन्द जाति बलाई उम्र-व्यस्क, निवासी घासीपुरा
तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
36. राहुल वर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार वर्मा जाति बलाई निवासी वी-198 घासीपुरा
तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
37. सुमित्रा देवी पत्नि बाबूलाल जाति बलाई उम्र-व्यस्क, निवासी रामतलाई घासीपुरा,
तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
38. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोहन जाति बलाई निवासी घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
39. ओमप्रकाश बुनकर पुत्र श्री शंकर लाल बुनकर जाति बलाई निवासी घासीपुरा,
तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
40. अरुण कुमार पुत्र प्रेमराज जाति बलाई उम्र-व्यस्क, निवासी घासीपुरा
तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
41. आशा देवी पत्नि ईश्वर लाल जाति बलाई निवासी खोजावाला,
तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
42. गुलाबदेवी पत्नि रामचन्द्र जाति बलाई निवासी खोजावाला, तहसील-शाहपुरा,
जिला जयपुर।
43. राकेश पुत्र रामचन्द्र जाति बलाई निवासी खोजावाला, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर
44. शांति देवी पत्नि प्रभूदयाल जाति बलाई निवासी खोजावाला, तहसील शाहपुरा
45. सुभाष पुत्र रामचन्द्र जाति बलाई निवासी खोजावाला, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
46. सोहन लाल पुत्र मांगूराम जाति बलाई उम्र-व्यस्क, निवासी खोजावाला, तहसील-शाहपुरा,
जिला जयपुर।
47. नाथी देवी पत्नि चौधू
48. रूडी देवी पत्नि धन्नाराम, जाति बलाई निवासी रतनपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला
जयपुर।
49. देवानन्द पुत्र गुट्टाराम
50. अमरचन्द पुत्र गुट्टाराम
समस्त जाति यादव, निवासी ढाणी मुन्दावाला, घासीपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
-अप्रार्थीगण
51. पूरण पुत्र ओमकार जाति बलाई निवासी घासीपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
-तरतीबी अप्रार्थी



प्रा० पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 3.4.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आ० ख० न० 80 रकबा 1.06 है०, 72/1230 रकबा 0.20 है०, 33/1 रकबा 0.27 है०, 33/2 रकबा 0.26 है० वाकै ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर प्रार्थीगण काविज रहकर कास्त करते चली आ रही है। उक्त आ० ख० न० 80 रकबा 1.06 है०, 72/1230 रकबा 0.20 है०, 33/1 रकबा 0.27 है०, 33/2 रकबा 0.26 है० वाकै ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/2009/22 दिनांक 23.06.2009 की पालना में दिनांक 30.06.2009 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 5.2.2024 को अप्रार्थी सं. 47,48 की ओर से श्री चौथमल एड. ने अण्डर टेकिणग दी जाकर जवाब व वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा । दिनांक 19.3.2025 को अप्रार्थी 47, 48 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर वकील अप्रार्थी की यू.टी. खारिज गई, तथा शेष अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद तामिल के कोई उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दवाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। प्रार्थीया के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नही होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आ0 ख0 न0 80 रकबा 1.06 है0, 72/1230 रकबा 0.20 है0, 33/1 रकबा 0.27 है0, 33/2 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 30.06.2009 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3.4.2025 को सरै इजलास सुनाया गया ।



(संजीव कुमार)
उप-खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर